

समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावाँ

e-mail-meso.seraikella@gmail.com & dwo.seraikella@gmail.com

पत्रांक

पत्रांक-1591 / आईटीडीडीए

परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
सरायकेला-खरसावाँ।

सेवा में,

सभी प्राचार्य,
महाविद्यालय / संस्थान,
सरायकेला-खरसावाँ।

सरायकेला, दिनांक-23/12/2020

विषय :-

शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि है आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2648, दिनांक-21.12.2020 के द्वारा झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत शिक्षण सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना है। इस संबंध में शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए विभाग द्वारा निम्नरूपेण समय सीमा निर्धारित की गई है:-

क्र०सं०	प्रक्रियात्मक कार्रवाई	ई-कल्याण पोर्टल खुलने की तिथि	ई-कल्याण पोर्टल बंद होने की तिथि
1	नये शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन	28.12.2020	10.01.2021
2	संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया	28.12.2020	15.01.2021
3	शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन	28.12.2020	20.01.2021

आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन ई-कल्याण पोर्टल में आवश्यक सशोधन के निमित्त बैठक में लिए गए निर्णय से सम्बंधित कार्रवाई की छायाप्रति इस पत्र के साथ सलग्न किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि विभागीय निदेशानुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ई-कल्याण पोर्टल पर निबधित संस्थानों/महाविद्यालयों का पंजीकरण से सम्बंधित संस्थानों का मान्यता, सम्बद्धता एवं अनुमान्य पाठ्यक्रमों से सम्बंधित सभी दस्तावेजों के अपलोड एवं छात्र-छात्राओं का आवेदन करने की प्रक्रिया तथा आवेदन का सत्यापन से सम्बंधित दिशा-निर्देशों का समय सीमा के अंदर अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

23/12/2020
परियोजना निदेशक,

समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
सरायकेला-खरसावाँ।

दिनांक:- 24-12-2020

24/12/2020

सहायक प्राचार्य
राजकीय पोलिटेक्निक, आदिपट्टा
24/12/2020

जाफांक:- 430

प्रतिदिप:-

- ① आव/छात्राओं सूचनादि।
- ② वेबसाइट पर।
- ③ मुख्य सूचना पत्र पर।